

## बिहार सरकार

### कृषि विभाग,

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-27/2013-59 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 11-07-2013  
प्रेषक,

रामजी सिंह  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को पूर्व में औपबंधिक रूप से सहायक अनुदान मद में स्वीकृत 992.86 करोड़ रु० को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के आलोक में संशोधित करते हुए वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक सहायक अनुदान मद में 1052.32 करोड़ रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 70 लाख रुपये से अधिक निर्माण कार्यों में मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन करने, सभी भवनों को भूकम्परोधी बनाने तथा वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अधीन परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए तत्काल 28.6172 करोड़ रु० (अठाईस करोड़ एकसठ लाख बहत्तर हजार रु०) सहायक अनुदान की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु तत्काल ₹9,44,36,760 (नौ करोड़ चौवालिस लाख छत्तीस हजार सात सौ साठ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-3370 दिनांक-04.07.2013 द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को पूर्व में औपबंधिक रूप से सहायक अनुदान मद में स्वीकृत 992.86 करोड़ रु० को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के आलोक में संशोधित करते हुए वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक सहायक अनुदान मद में 1052.32 करोड़ रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 70 लाख रुपये से अधिक निर्माण कार्यों में मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन करने, सभी भवनों को भूकम्परोधी बनाने तथा वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अधीन परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए तत्काल 28.6172 करोड़ रु० (अठाईस करोड़ एकसठ लाख बहत्तर हजार रु०) सहायक अनुदान की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु तत्काल ₹9,44,36,760 (नौ करोड़ चौवालिस लाख छत्तीस हजार सात सौ साठ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹9,44,36,760 (नौ करोड़ चौवालिस लाख छत्तीस हजार सात सौ साठ रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-मांग सं०-1-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड-P2415017890103, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 42, विषयशीर्ष-31 05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित ₹28.6172 करोड़ रु० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

रिजिस्ट्रार

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)


सरकार के संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

59 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 11-07-2013

- प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक


59 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 11-07-2013

- प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. ~~उप~~ कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।



  
सरकार के संयुक्त सचिव।